न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 61/2022

(GCMS 2022/218)(212724229945784)

श्री खेम सिंह जोधा निवासी ग्राम व पोस्ट शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर – 342802

बनाम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री खेम सिंह जोधा स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी श्री खेम सिंह जोधा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगांगनगर के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 16.07.2022 को प्रस्तुत करके दो बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा उसे जानबूझकर उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर पर नियमानुसार कार्यवाही करने एवं निःशुल्क सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री खेम सिंह जोधा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.07.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय (पूल)–श्रीगंगानगर के द्वारा श्रीगंगानगर जिले में पदस्थापित उपखण्ड अधिकारियों को आंवटित सरकारी गाड़ियों की प्रमाणित सूची मय नम्बर सहित आंवटन वर्ष के नियमानुसार उपलब्ध करवानें में श्रीमान सहयोग करावें।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय (पूल) श्रीगंगानगर के द्वारा पदस्थापित [illegible] को आंवटित सरकारी गाड़ियो की प्रमाणित सूची मय नम्बर सहित आंवटन वर्ष के नियमानुसार उपलब्ध करवानें में श्रीमान सहयोग करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:32 IST
Reason: Self Attested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी (पूल) एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक पूल / सूकाअ / 2022–23 / 3073 दिनांक 28.11.2022 से अपील का जवाब निम्नानुससार प्रे ित किया है :

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र में आपने अपील संख्या 61 / 2022 अनवान खेम सिंह बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0), श्रीगंगानगर में इस कार्यालय से जवाब चाहा गया है। जिसके संदर्भ में निवेदन है कि इस कार्यालय के पत्रांक 2793 दिनांक 24.08.2022 से निश्चित समय अवधि में प्रार्थी को जवाब दिया जा चुका है।
>
> -sd-
> प्रभारी अधिकारी (पूल) एवं
> अति. जिला कलक्टर (सतर्कता)
> (श्रीगंगानगर)

चूंकि प्रभारी अधिकारी (पूल) एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और अपने पत्र क्रमांक पूल / सूकाअ / 2022 / 2793 दिनांक 24.08.2022 से अपीलार्थी को भी सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसलिए प्रभारी अधिकारी (पूल) एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर **द्वारा अपील का जो जवाब दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी (पूल) एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.05.13 12:16:32 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 29.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर